राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग / फार्मासिस्ट / सीधी भर्ती / 2012 / 1367 दिनांक: 13.12.12.

– परिपत्र –

निदेशालय के विभिन्न आदेशों द्वारा आपके अधीन दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर फार्मासिस्टों का पदस्थापन किया गया है जिनके द्वारा उच्च अध्ययन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र आप द्वारा मूल ही निदेशालय को अग्रेषित किये जा रहे हैं।

इस संबध में लेख है कि आपके अधीन पदस्थापित फार्मासिस्टों को दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर नियमित नियुक्तियां प्रदान की गयी है एवं एम फार्मा में अध्ययन भी नियमित प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में कार्मिको द्वारा नियमित राजकीय सेवा एवं नियमित अध्ययन एक साथ किया जाना नियमानुसार नहीं है वैसे भी एक लोकसेवक को प्रोबेशन काल में नियमित उच्च अध्ययन की स्वीकृति भी अनुज्ञेय नहीं है।

अतः आपके अधीन प्रोबेशनकाल पर पदस्थापित कार्मिकों द्वारा नियमित उच्च अध्ययन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अपने स्तर पर ही उक्तानुसार निस्तारण करें।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनिय है कि यदि प्रोबेशनकाल में कार्यरत किसी फार्मासिस्ट को पूर्व में नियमित उच्च अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की गई हो तो उसे भी निरस्त समझा जावें।

Sd/-

अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग / फार्मासिस्ट / सीधी भर्ती / 2012 / 1367 दिनांक: 13.12.12

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज।
2. समस्त अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय।
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम।

अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर